राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4119/2024

स्नेहलता जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक : 09.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सियाल खेडी, पंचायत समिति छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित था। अपीलार्थी का 6डी में चयन किया जाकर सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन कर दिनांक 09.06.2016 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियालखेडी पंचायत समिति सादडी जिला प्रतापगढ़ में कर दिया गया। अपीलाथी वर्तमान में करीब तीन वर्षो से किडनी में केंसर होने के कारण केंसर की बीमारी से पीड़ित है। जिसका ईलाज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर में निरन्तर चल रहा हैं (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने केंसर की बीमारी से पीड़ित होने के कारण वर्ष 2023 में तथा दिनांक 09.06.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्थानान्तरण बाबत् प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परन्तु आज दिनांक तक भी अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को

विधिक नोटिस दिया गया (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस मिल जाने के बाद भी अपीलार्थी के अधिकारों पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14786/2024 रकमनाथ चरपोटा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 (अनुलग्नक–4) एवं मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्य (ग्रुप–1) विभाग के पत्र दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा आदेश जारी कर समस्त/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त प्रशासनिक विभाग, अति. मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि आपके एवं आपके अधीन कार्यालयों में प्राप्त अभ्यावेदनों का संवेदनशीलता से विवेचन कर इनका प्रभावी रूप से त्वरित निस्तारण करें। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, केसुन्दा में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के दो पद रिक्त है। अपीलार्थी के केंसर की गम्भीर बीमारी को देखते हुए अपीलार्थी का अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन रिक्त पद में से किसी एक पद पर करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 02 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने

के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष